



समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार



कानूनी दत्तक ग्रहण हेतु आयु संबंधी आवश्यक जानकारी



बालक की आयु	दम्पति की अधिकतम आयु	एकल भावी दत्तक माता अथवा पिता की अधिकतम आयु
2 वर्ष तक	85 वर्ष	40 वर्ष
2 से 4 वर्ष तक	90 वर्ष	45 वर्ष
4 से 8 वर्ष तक	100 वर्ष	50 वर्ष
8 से 18 वर्ष तक	110 वर्ष	55 वर्ष



विशेष जानकारी वेबसाइट

<https://state.bihar.gov.in/socialwelfare/CitizenHome.html>

एवं

<https://cara.nic.in>

पर उपलब्ध है।

दत्तकग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2021, बिहार किशोर न्याय नियमावली, 2017 एवं दत्तकग्रहण विनियम, 2022 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत की जाती है।



[/iprdbihar](#) [@iprd_bihar](#)

[@DoSWBihar](#) [/SocialWelfareDeptBihar](#)